भारत और चीन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC के साथ स्थिरता पर सहमति बनी। यह वार्ता "स्पष्ट और गहन" थी जो "अन्य मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान हेतु दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप" थी।

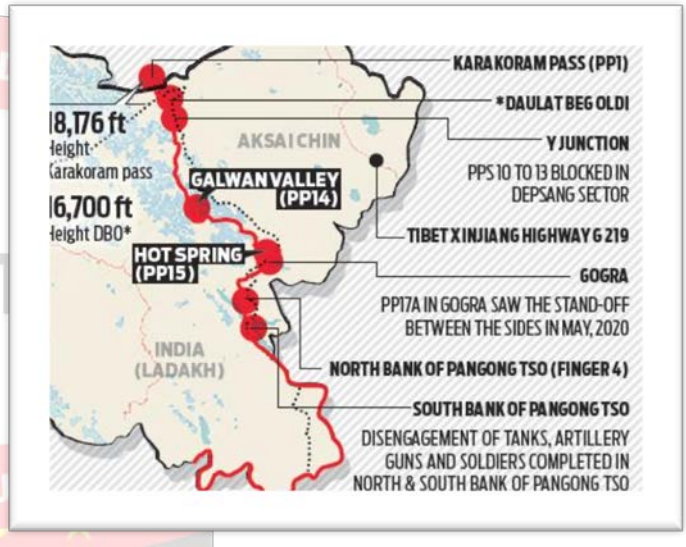

प्रमुख बिंदु

- दिसंबर को **अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर** में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष में , दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों ने सीमा रेखा के साथ शेष मुद्दों को हल करने की कोशिश करने के लिए 20 दिसंबर को उच्च स्तरीय वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया।
- भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा-हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर चर्चा की।

चीन की घुसपैठ

- डेपसांग में चीनी सैनिकों की उपस्थिति, डेमचोक में घुसपैठ और पैंगोंग त्सो पर दो पुलों सहित तेजी से चीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण के मुद्दे पर लद्दाख में तनाव जारी है, जो झील के दक्षिणी तट पर चीनी लामबंदी के समय को कम कर देगा।
- यह भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 17वां दौर था जिसे चीनी पक्ष के चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था।

तवांग चुनौती

- जून, 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान की घातक घटना के बाद से भारतीय और चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भिड़ गए थे और एक-दूसरे पर लाठी और डंडों से हमला किया।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

बेट्टा-करुबा समुदाय

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में "कडू कुरुबा" के साथ "बेट्टा-कुरुबा" को शामिल करने के लिए संसद ने गुरुवार को एक विधेयक पारित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यसभा ने ध्वनिमत से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। जिसे लोकसभा द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
- विधेयक कर्नाटक के बेट्टा-कुरुबा समुदाय को न्याय प्रदान करना चाहता है, जिसके दक्षिणी राज्य में केवल लगभग 5,000 सदस्य रहते हैं।
- "कर्नाटक की राज्य सरकार ने कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 16 में 'कडू कुरुबा' के पर्याय के रूप में 'बेट्टा-कुरुबा' समुदाय को शामिल करने का अनुरोध किया है।
- मुंडा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश कर रही है।
- मंजूरी के पश्चात बेट्टा-कुरुबा समुदाय के सदस्य अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के हकदार होंगे, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा के।

स्रोत- बिजनेस स्टैण्डर्ड

उपग्रहों की अनियंत्रित पुनः प्रविष्टियाँ

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 140 से अधिक विशेषज्ञों और गणमान्य लोगों द्वारा आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट (OSI) द्वारा प्रकाशित एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें अनियंत्रित पुन: प्रविष्टियों को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और बहुपक्षीय दोनों प्रयासों का आह्वान किया गया है।
- OSI , अंतरिक्ष अध्ययन के लिए समर्पित एक अंत:विषय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

उदेश्य:

- राष्ट्र एकतरफा रूप से राष्ट्रीय नियंत्रित पुन: प्रवेश व्यवस्थाओं के लिए नेतृत्व का प्रदर्शन करें।
- यूएस ऑर्बिटल डेब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज (ODMSP) के लिए सभी लॉन्च की आवश्यकता होती है ताकि प्रवेश करने से हताहत होने की संभावना 0.01% से कम हो।
- ग्लोबल साउथ के देश हताहतों के "असंतुलित रूप से उच्च" जोखिम का सामना करते हैं।

रॉकेटों का अनियंत्रित पुन: प्रवेश

- रॉकेट के कई चरणों में से एक चरण में रॉकेट की ऊंचाई और वेग को एक निश्चित मात्रा में बढ़ा दिया जाये , तो रॉकेट इसे छोड़ देता है।
- कुछ रॉकेट गंतव्य कक्षा तक पहुँचने से पहले अपने सभी बड़े चरणों को फेंक देते हैं।

रॉकेटों का अनियंत्रित पुन: प्रवेश

- एक अनियंत्रित पुन: प्रवेश में, रॉकेट गिर जाता है क्योंकि ग्राउंड स्टेशन आमतौर पर ऐसे रॉकेटों पर नियंत्रण खो देते हैं। जैसे ही इसके छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, जमीन पर इसके प्रभाव की संभावित त्रिज्या बढ़ जाती है।
- वातावरण में पुनःप्रवेश पर कुछ टुकड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं।
- रॉकेट के अधिकांश पुर्जे मुख्य रूप से महासागरों में गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सतह की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है।
- हाल ही में चीन का एक अनियंत्रित राकेट प्रशांत महासागर में गिरा था और अक्टूबर 2022 में, ISRO के RISAT-2 उपग्रह ने जकार्ता के पास हिंद महासागर में एक अनियंत्रित पुन: प्रवेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय विनियम

- उत्तरदायित्व समझौता, 1972 में देशों को नुकसान के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, उन्हें रोकने की नहीं तथा यह कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता नहीं है कि रॉकेट चरण हमेशा नियंत्रित पुन: प्रविष्टियां करें।

सर्वाइकल कैंसर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्राओं के बीच सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और HPV वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता संबंधित आदेश जारी किया गया है।

सर्वाइकल कैंसर के बारे में

- सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा के अस्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है।
- गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित होती है, जो गर्भ से योनि तक खुलती है। इस कैंसर को 'बच्चेदानी के कैंसर' के नाम से भी जाना जाता है।

- सर्वाइकल कैंसर सभी कैंसरों में चौथे स्थान पर है और वर्तमान में इस बीमारी से हर 2 मिनट में किसी की मृत्यु हो जाती है। यह 42 देशों में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है।

सर्वाइकल कैंसर के कारण

- अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण के कारण होते हैं। HPV, वायरस का एक समूह है जो दुनिया भर में बेहद आम है। HPV के 100 से अधिक प्रकार हैं, जिनमें से कम से कम 14 कैंसर पैदा करने वाले हैं (जिन्हें उच्च जोखिम वाले प्रकार भी कहा जाता है)।

भारत में सर्वाइकल कैंसर:

- भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है।
- भारत, वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के आंकड़ों में सबसे अग्रणी है। सर्वाइकल कैंसर के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली हर चार मौतों में से लगभग एक भारत में होती है।
- 90% लड़कियों को 15 साल की उम्र तक HPV वैक्सीन का टीका लगाया जाता है।
- सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित 90% महिलाओं का उपचार संभव है (90% महिलाओं को पूर्व कैंसर का इलाज किया जाता है, और 90% आक्रामक कैंसर वाली महिलाओं को प्रबंधित किया जाता है)।

स्रोत - ऑल इंडिया रेडियो

एकीकृत आवास आकलन (गृह) के लिए हरित रेटिंग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार- 2022 जीता है।

एकीकृत आवास आकलन (गृह) के लिए ग्रीन रेटिंग के बारे में:

- UIDAI कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के विचार में विश्वास करता है। यह अपनी ऊर्जा खपत के एक हिस्से को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।
- यह पुनर्चक्रण कर पानी के पुन: उपयोग पर बल देता है और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन विधियों का पालन करता है।

गृह क्या है?

- यह भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है।
- इसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** हरित भवनों को डिजाइन करने में सहायता करना और भवनों की 'हरितता' का मूल्यांकन करने में सहायता करना।

रेटिंग में प्रयुक्त पैरामीटर:

साइट का चयन
संसाधनों का संरक्षण
भवन संचालन एवं अनुरक्षण

स्रोत- पीआईबी

KARMANYEVADHIKARASTE MAA PHALESHU KADAACHAN THE STUDY An Institute for IAS